मि. नं. 23/2024 धारा 212 R.T.A.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/3/26	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में शामिल तथ्यों को दोहराया गया तथा वांछित अनुतोष चाहा गया। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्र-1 के मध्य किसी प्रकार का कोई इकरारनामा बयान तस्दीक नहीं किया गया है। 6/4/2023 और 4/6/2024 को सादा कागज पर जो लिखापढ़ी की है। उसमें न तो कृषि भूमि के खसरा नम्बर अंकित हैं और न ही उक्त भूमि कहाँ पर स्थित है और कितना रकबा है, यह बात नहीं लिखी है। बयाना नामा पंजीकृत विक्रय पत्र पर होना आवश्यक है। रामनारायण के कृषि भूमि का बयाना नहीं किया गया था। उक्त भूमि चुन्नीलाल एवं भवानी दोनों के संयुक्त खाते की रही है। दोनों का 1/2-1/2 हिस्सा रहा था। भवानी ने इस पर एक प्रकार भी उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	बतलाया है। चुन्नी लाल द्वारा क्रय मकान का क्रय गलत है इसकी बाउन्ड्री वाल भी चुन्नीलाल व मवाल के जीवन काल में ही क्रय निर्माण के पहले बनाई थी। इतना खर्च भी लगाया था। इसमें भी सहखातेदार चुन्नीलाल ने अपने हिस्से की 1/2 की कृषि लड़कियों को बेचान कर दी है। मवाल के हिस्से की शेष रही साढ़े चौदह बीघा जमीन में से प्रेमबाई द्वारा अपना हिस्सा प्रार्थिया को बेचान करने के बाद शेष कृषि पर प्रत्यर्थीगण काबिज काश्त है। प्रत्यर्थी-12 [illegible] २ वर्ष पूर्व फौत हो चुकी है। मूल पक्षकार के विरुद्ध वाद पेश होने के कारण निरस्त योग्य है।
	प्रेमबाई पुत्री मवाल का सम्पूर्ण खातेदारी में हि. 1/10 था: जोकि विभाजन के बाद हि. 1/5 आदेश विक्रय पत्र कर दी गई है; जिसका नामान्तरण नं. 2943 दि. 25.10.23 को स्वीकृत होने के बाद प्रार्थिया को सहखातेदारी
	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्राप्त हुई है। इससे पूर्व डायरी की सम्पूर्ण कार्यवाही से कोई सम्बन्ध नहीं था। तथाकथित वसीयत दि० 6/4/23 एवं 4/6/21 के आधार पर काम सिविल न्यायालय में भी वाद लाया जा सकता है। इस मामले में एक वाद मि. नं. 97/2018 चुन्नीलाल बनाम राज्य दायर चला था जिसका निर्णय 19/3/19 को हुआ था। इसके बाद चुन्नीलाल ने इसकी अपील 280/2019 RAA कोटा में की थी जिसका निर्णय 28/8/2020 को कर दिया था। इसके बाद इन रेवन्यू बोर्ड अजमेर में अपील संख्या 38/2021 चुन्नीलाल ने पेश की जिसका निर्णय 28/1/21 को हुआ था। इन समस्त न्यायिक कार्यवाहियों में चुन्नीलाल स्वयं पक्षकार रहा है। इनका आधार लेकर चुन्नीलाल ने अपना बचाव क्यों नहीं लिया? क्योंकि वह जानता था कि उक्त दोनों वसीयतें 6/4/23 और 4/6/21 फर्जी और बनावटी हैं। Clue उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	यह प्रार्थिया की स्थिति एक stranger जैसा की रही है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किया जावे। हमारे द्वारा वाद संबंध पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के वाद/प्रा.प. व प्रार्थीगण के जवाब एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात पर मनन चिन्तन किया गया। प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा अपनी कृषि भूमि पर विवाद उठाते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत निम्न तीन बिन्दु विचारणीय हैं:- प्रथम दृष्टया प्रकरण :- वादग्रस्त भूमि ग्राम जुल्मी पटवार हल्का जुल्मी खाता सं. 1601 ख.नं. 4027/3214 रकबा 2.2750 बावत् प्रथम वादिनी/प्रार्थिया एवं अन्य सहखातेदारान प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी रूप से दर्ज है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण दोनों पक्षों के हक में पाया जाता है। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुविधाओं का संतुलन :- प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मद संख्या 5 में प्रार्थिया द्वारा यह कथन अंकित किया हुआ है कि आराजी भूमि वर्तमान समय में प्रार्थिया के कब्जे में ही है। इसके अलावा अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में भी विशेष आपत्तियों में पृष्ठ सं. 5 पर अंकित बिन्दु सं. 4 में यह स्वीकार किया गया है कि प्रार्थिया द्वारा क्रय किया गया है एवं उसी के द्वारा काश्त की जा रही है। अतः इस प्रकार सुविधाओं का संतुलन वादिनी/प्रार्थिया के हक में पाया जाता है। अपूरणीय क्षति :- यद्यपि प्रार्थिया द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जो यह साबित करता हो कि वर्तमान में प्रार्थिया को किसी प्रकार कि कोई अपूरणीय क्षति हो रही हो इसके अतिरिक्त प्रकरण में दिये हुए तथ्य यह Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

भी न्यायालय के सामने आये
है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध
में एक वाद 97/2018 पुनमचन्द
बनाम राज्य सरकार निर्णय
दि. 19/3/2019. भी चैलेन्ज
था। उसमें क्या निर्णय हुआ।
उसकी अपील पुनः लाल
द्वारा RAA कोटा में 280/2019
की गई थी जो 25/8/2020
को निर्णित हुई। तत्पश्चात
फिर राजस्व मण्डल अजमेर में
अपील नं. 38/2021 दायर हुई
जिसका निर्णय 28/01/2021
को हुआ। इन सभी में क्या
कार्यवाही हुई। संबंधित न्यायालय
ने तत्समय क्या-क्या निर्णय
पारित किये गये? प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र में प्रार्थिया द्वारा
स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया
है। प्रार्थिया Clean Hands के
साथ न्यायालय में नहीं आई है।
वादग्रस्त भूमि की सह खातेदार
रही डेम बाई पुत्री मथाना ने
उसके हिस्से की भूमि जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान
भी कर दी गई है, जिसको

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बयान प्रार्थिया को हुआ था। इसमें कोई इसका कोई महत्व नहीं बनता। इस प्रकार प्रार्थिया को वर्तमान में कोई मजबूरीय भारी होना प्रकट नहीं होता। अतः उपरोक्त विवेचना उपरान्त प्रार्थना पत्र धारा 212 R.T.A. गुणहीन एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थिया सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुदा की जाय संख्या से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27/03/2026 को सुनाया गया। चारु [I.A.S.] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	